

पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 06/2025

Operating Safety Alert No.06/2025

विषय:-पश्चिम मध्य रेलवे के सवाई माधोपुर यार्ड में गाड़ी संख्या 61621 के Empty MEMU रैक के 1 कोच का अवपथन ।

दिनांक 08.09.2025 को पश्चिम मध्य रेलवे के सवाई माधोपुर यार्ड में गाड़ी संख्या 61621 के Empty MEMU रैक का शंटिंग किया जा रहा था। Empty रैक को Passenger yard से South Goods yard के लाइन नं. 2 में Placement किया जाना था। इससे पूर्व लाइट इंजन के शंटिंग के दौरान काँटा संख्या 501 का सही सेटिंग सुनिश्चित नहीं करने के कारण काँटा संख्या 501 Burst कर गया था । Empty रैक का शंटिंग भी काँटा संख्या 501 से होकर करना था । परंतु काँटावाला के द्वारा कांटों की स्थिति को सुनिश्चित किए बिना ही शंटिंग के लिए हरा संकेत दे दिया गया । जिसके कारण Empty MEMU रैक के एक कोच का अवपथन काँटा संख्या 501 पर हो गया ।

घटना का कारण:-

- (क) पूर्व वाली मूवमेंट में शंटिंग के दौरान तीन काँटे सेट करने थे। काँटावाला एक काँटा सेट करना भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप काँटा संख्या 501 Burst हो गया था ।
- (ख) काँटा संख्या 501 की स्थिति को सुनिश्चित किए बिना, लोको पायलट को हरी संकेत दिखाकर दूसरी संचलन का किया जाना ।

घटना से सीख:-

- (1) कांटों की समुचित सेटिंग एवं लॉकिंग सुनिश्चित करने के बाद ही हाथ सिगनल दिखाया जाना चाहिए ।
- (2) शंटिंग को पूरी तरह से काँटावाला पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए । शंटिंग का पर्यवेक्षण सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए । शंटिंग का प्रभारी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि शंटिंग के लिए कांटों की सही सेटिंग और लॉकिंग कर ली गई है ।
- (3) शंटिंग आदेश पर क्रमवार ढंग से किये जाने वाले कार्य को विस्तृत रूप से लिखा जाना चाहिए ।
- (4) शंटिंग के दौरान लोको पायलट सिगनल को 'ऑन' स्थिति में शंटिंग आदेश फॉर्म टी/806 के प्राधिकार पर पार करते समय कांटों के समुचित सेटिंग तथा लॉकिंग के सम्बन्ध में सतर्क रहेगा और ऐसे सिगनलों को तब तक पार नहीं करेगा जब तक कि हाथ सिगनल सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा सिगनल के नीचे से नहीं दिखाए जाते हैं ।

सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि शंटिंग के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं परिचालनिक प्रक्रियाओं के बारे में यातायात निरीक्षक एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा सभी संबंधित कर्मचारियों के बीच विस्तृत चर्चा एवं काउंसलिंग की जाए ताकि भविष्य में ऐसी भूल दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

MANOJ KUMAR
RANJAN

Digitally signed by MANOJ KUMAR
RANJAN
Date: 2025.10.21 16:27:16 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप.मुख्य परिचालन प्रबंधक/सा.

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

दिनांक 21.10.25

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73/505,

प्रतिलिपि:

- 1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
- 2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- 3. मण्डल रेल प्रबंधक -धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
- 4. वरि.म.परि.प्रबंधक- धनबाद, दानापुर,डी.डी.यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।